

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर रायसेन जिले के ग्राम खरबई में चिड़ियाटोल जू एवं रेस्क्यू सेंटर स्थापित करने हेतु 150.00 हेक्टेयर वन भूमि म.प्र. इको पर्यटन विकास बोर्ड, भोपाल को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 07/01/19

स्थान: भोपाल

AL
07/01/19
(कैप्टन अनिल कुमार खरे)
(कैप्टन अश्विनी कुमार खरे)
मध्यप्रदेश शस्त्रि वन विभाग
म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)